

नगर नियोजक,

कृपया रिट याचिका सं० 14390/2018 (रमेश चन्द गुप्ता बनाम उ०प्र०राज्य व 4 अन्य) में मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 20.4.2018 को पारित आदेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मा०उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में अभियंत्रण अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वे तथा अर्जन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सजरा मानचित्र के अनुसार मौजा-बुढ़ाना मुस्तकिल के खसरा सं० 778, 802, 804, 805, 806, (808 ग्रामसभा), 809, 810, 811, 812 व 813 कुल क्षेत्रफल 47290.00 वर्गमीटर पर कैटिल कॉलोनी विकसित किये जाने हेतु नियोजन अनुभाग द्वारा तैयार किये गये ले-आउट प्लान पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, जिसकी प्रति पत्रावली में अवलोकनीय है।

अतः हस्ताक्षरित ले-आउट प्लान की 1-1 प्रति श्री देवेन्द्र शर्मा, अधि०अभि० तथा प्रभारी भू-अर्जन को उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्रालेख तैयार कर दायी ओर संलग्न कर दिया गया है।

कृपया पत्रालेख अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

28
18/05/18
D/man

linch
18/05/18
Tel